

इस की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार है :-

1. निविदा प्रपत्रों को बेयसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में ऐबराइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
2. निविदा फार्म ऑन लाईन वेब साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 17.02.2022 से दिनांक 27.02.2022 साथ 6.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकते हैं।
3. ऑन लाईन निविदा इसी बेयसाइट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 27.02.2022 साथ 6.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं।
4. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश सारी निविदायें नहीं खोली जा सकती तो उसके अगले कार्य दिवस पर शेष कार्य जारी रखा जायेगा।
5. उप वन संरक्षक कोटा कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 17.02.2022 से दिनांक 27.02.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वान्ह से 6.00 बजे साथ तक निविदा प्रपत्र देखा जा सकता है। अथवा वेब साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
6. निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क, विड सिक्यूरिटी राशि रूप से या जर्ये ई मेल निम्नानुसार राशि के चालान दिनांक 28.02.2022 दोपहर 1.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है। इसके अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	विवरण	राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	प्रति कार्य 500/- रुपये	ई चालान से जमा	जर्ये ई चालान ई-ग्रास के माध्यम से लेखामद 0075-00-800-52-01 में जमा की जावे। तथा चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे।
2	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	रुपये 500 प्रति निविदा कार्य	ई चालान से जमा	जर्ये ई चालान ई-ग्रास के माध्यम से प्रोसेसिंग शुल्क लेखामद 8658-00-102-16-03 मद में जमा करनी है तथा चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी है।
3	विड सिक्यूरिटी राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत राशि कॉलम संख्या-07 अनुसार	ई चालान से जमा	जर्ये ई चालान ई-ग्रास के माध्यम से विड सिक्यूरिटी लेखामद 8443-00-109-00-00 मद में जमा करनी है तथा चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी है।

7.(अ) बेयसाइट पर निविदाओं की वित्तीय विड इस कार्यालय में दिनांक 28.02.2022 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारण वश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्य दिवस को उसी समय वित्तीय विड खोली जायेगी।

8. निविदा खोलने की दिनांक से 20 दिवस तक निविदा स्थीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।

9. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी य उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित खण्ड अथवा अधिनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी से लेकर उप वन संरक्षक स्तर का किसी भी स्तर पर पद स्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबंध रहेगा।

राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजिनियर अथवा इंजिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नयुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। यदि संवेदक उसके कर्मचारी में ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा कराने से पहले एवं संवेदक की सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबंध रद्द किया जा सकता।

11. निविदा या इसके किसी भाग को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होंगे।

12. कार्य प्रारम्भ करने की अवधि कार्य आदेश करने की तिथि के 5 दिवस पश्चात से आरम्भ होगी।

13. आस-पास के बन क्षेत्र या अन्य राजकीय बनभूमि से अवैध खनन कर पत्थर का इस्तेमाल दीवार निर्माण में निषेध लिस्ट कर भविष्य में विभाग के किसी भी कार्य करवाने में प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही का साथ ही साथ, संवेदक को "ब्लैक लिस्ट" कर भविष्य में विभाग के किसी भी कार्य करवाने में प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही का सामना करना होगा।

14. निर्माण कार्य में बजरी के अभाव में PWD के नाम्स के अनुसार मान्य (प्रमाणित) 'एम सैण्ड' उपयोग में ली जा सकेगी। किसी भी सूरत में क्रेशर डस्ट का उपयोग अनुमत नहीं होगा।

15. कार्य की दोष दायित्व अवधि (डिफेक्ट लाइबिलिटि पिरियड) एवं इनके सुधार मय संचालन के कार्य पूर्णता के पश्चात 5 वर्ष तक रहेगा।

16. राजस्थान लोक उपमान में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 प्रभावी होगा।

17. कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने या क्वालिटी उच्च स्तर की नहीं पायी गई तो वित्तीय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसमें पेनल्टी अन्य प्रावधान शामिल है।

ई-टेंडरिंग के लिए निविदा हेतु निर्देश

(अ) उक्त निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के डिजिटल स्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होंगा। जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में साईन हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत ऐंजंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैब डिजिटल हस्ताक्षर स्टिफिकेट है उन्हें नया डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ब) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त वैब साईट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसमें प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेगे।

18. इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा करने से पूर्व निविदा दाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।

19. कोई भी निविदादाता निविदाओं को इलैक्ट्रोनिकली जमा करने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं है।

20. समस्त निविदादाता निविदा के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

21. ऑन लाईन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालना नहीं करने के परिणाम स्वरूप निविदा प्रक्रियामें उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

22. निविदा दाता को पक्की दीवार निर्माण कार्य के रनिंग बिल्स प्रस्तुत करते समय सार्वजनिक निर्माण विभाग से क्वालिटी कन्ट्रोल की रिपोर्ट पश्चात ही बिल्स का भुगतान किया जावेगा।

23. राजस्थान लोक उपमान में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 के नियम 47 के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निविदा के संबंध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण/आपत्ति निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि/ समय से पूर्व लिखित/ ई-मेल के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। इसके उपरांत प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

24. ब्लास्टिंग से खड़े खुदाई कार्य की साईज 1मी0X1मी0X1मी0 से कम होने पर भुगतान नहीं किया जावेगा।

25. साइड पर खड़ों की संख्या कम व ज्यादा हो सकती है। और खड़ों की गहराई के अनुसार से मिट्टी भराई जायेगी। खड़ों 1 मीटर से कम गहरे हैं तो कम मिट्टी भराई जायेगी। गहराई के घन मीटर के अनुसार मिट्टी भराई जायेगी।

26. पौधों को जब तक श्रमिकों द्वारा टेंकर से पूर्ण पानी नहीं पिलाया जाता, तब तक टेंकर संबंधित वृक्षारोपण में खड़ा रहेगा।

27. साइट इन्चार्ज के द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र में जो जगह बताई जावेगी, वही टेंकर पंहुचाना होगा।

28. साइट की आवश्यकतानुसार ही क्षेत्रीय द्वारा टेंकरों की डिमांड की जावेगी, एवं क्षेत्रीय की डिमांड अनुसार ही टेंकर सप्लाई कियें जायेंगे। साइट की आवश्यकतानुसार टेंकरों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।

- किसी भी प्रकार का लीड का भुगतान देय नहीं होगा।
30. एडीशनल परफारमेंस सिव्यूरिटी यदि संयोग द्वारा 15 प्रतिशत से कम दर पर निविदा डाली गई है, उसके ऊपर आने वाली दर का 50 प्रतिशत राशि कार्यादेश से पूर्व जमा करवाया जाना आवश्यक है।
31. परिवहन के दौरान सोलर एनर्जी सिस्टम में किसी भी प्रकार की कमी, नुकसानी एवं बदलाव की जिम्मेदारी, निविदादाताओं की होगी एवं इन्हे नुकसान की भरपाई स्थिर यहन करना होगा।
32. कार्यादेश जारी होने के 1माह में सोलर एनर्जी सिस्टम (Renewable 5KW) सोलर प्लांट (Netmetering) (Roofstop Mount) सेट संस्थापित करना होगा।
- 33.. सोलर एनर्जी सिस्टम की राशि का भुगतान भौतिक सत्यापन एवं सही गुणवत्ता के बाद किया जावेगा।
- 34.. विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र कोटा रहेगा।

५०
(रवि कुमार मीना)
उप वन संरक्षक
कोटा (राज.)

(समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु)

राजस्थान सरकार
वन विभाग



॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.) ॥

राजभवन रोड, सिविल लाईन्स, नयापुरा, जिला - कोटा 324001

(दरभाप नम्बर 0744-2322747 ई मेल आई. डी. dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ()RGJSY /उवसं/कोटा/2021-22/ ८२७

दिनांक : १५.०२.२२

-:: निविदा सूचना संख्या 06/2021-22 ::-

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अनुभवी उवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/ रेल्वे इत्यादि के पंजिकृत संघेदकों जो कि राजस्थान सरकार के एए.वी.सी., एवं डी.श्रेणी के संघेदकों के समकक्ष हों, को उनकी पात्रता की श्रेणी में उनसे निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

ऑन लाईन निविदा प्रपत्र डाउन लोड करने की तिथि	दिनांक से शाम 6 बजे तक
ऑन लाईन निविदा खोलने की तिथि	दिनांक को दोपहर 3.00 बजे तक

UBN NO.

--	--	--

निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in तथा www.eproc.rajasthan.gov.in "तथा www.rajforest.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक संघेदकों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र/विड डॉक्यूमेन्ट को वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड/जमा किया जा सकता है।

Ram
(रवि कुमार भीना)
उप वन संरक्षक
कोटा (राज.)